

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)**

**जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)**

// आदेश //

क्रमांक / 370/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2025

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) सारंगढ़ का पत्र/539 सारंगढ़ दिनांक 19.02.2025 के अनुसार श्री मनहरण लाल अमलीवार व्याख्याता (वर्ग-1) बिलाईगढ़ को विकासखण्ड- सारंगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 275 में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः श्री मनहरण लाल अमलीवार व्याख्याता (वर्ग-1) बिलाईगढ़ के द्वारा कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री मनहरण लाल अमलीवार व्याख्याता (वर्ग-1) बिलाईगढ़ का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बरमकेला निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 370(A)/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2025  
प्रतिलिपि:-

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सह रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) सारंगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित। आप निलंबित कर्मचारी का आरोप पत्र, आरोप विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़/बरमकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित श्री मनहरण लाल अमलीवार व्याख्याता (वर्ग-1) बिलाईगढ़ मो.नं. 8435571996 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)**

**जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)**

**// आदेश //**

क्रमांक / 371 / सहा.अधी. / स्था.निर्वा. / 2025

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) सारंगढ़ का पत्र/539 सारंगढ़ दिनांक 19.02.2025 के अनुसार श्री अशोक कुमार साहू, शिक्षक ई (एल.बी.) बिलाईगढ़ को विकासखण्ड- सारंगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 33 में मतदान अधिकारी क्र. 01 नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः श्री अशोक कुमार साहू, शिक्षक ई (एल.बी.) बिलाईगढ़ के द्वारा कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री अशोक कुमार साहू, शिक्षक ई (एल.बी.) बिलाईगढ़ का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बरमकेला निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।



कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 371 / सहा.अधी. / स्था.निर्वा. / 2025  
प्रतिलिपि:-

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सह रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) सारंगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित। आप निलंबित कर्मचारी का आरोप पत्र, आरोप विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़/बरमकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित श्री अशोक कुमार साहू, शिक्षक ई (एल.बी.) बिलाईगढ़ मो.नं. 7999546373 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)

## जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक/ 373/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2025

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) सारंगढ़ का पत्र/539 सारंगढ़ दिनांक 19.02.2025 के अनुसार श्रीमती सुषमा पटेल, शिक्षक (एल.बी.) सारंगढ़ को विकासखण्ड-सारंगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 33 में मतदान अधिकारी क्र. 02 नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः श्रीमती सुषमा पटेल, शिक्षक (एल.बी.) सारंगढ़ के द्वारा कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्रीमती सुषमा पटेल, शिक्षक (एल.बी.) सारंगढ़ का मुख्यालय कार्यालय प्राचार्य शास.उच्च.माध्य.विद्या. कनकबीरा विकासखण्ड सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ 373/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2025  
प्रतिलिपि:-

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सह रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) सारंगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित। आप निलंबित कर्मचारी का आरोप पत्र, आरोप विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।
4. प्राचार्य शास.उच्च.माध्य.विद्या.कनकबीरा विकासखण्ड सारंगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित श्रीमती सुषमा पटेल, शिक्षक (एल.बी.) सारंगढ़ मो.नं. 9669975033 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)



**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)**

**जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)**

// आदेश //

क्रमांक / 373/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2025

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) सारंगढ़ का पत्र/539 सारंगढ़ दिनांक 19.02.2025 के अनुसार श्री शोभाचंद मालाकार, शिक्षक, बरमकेला को विकासखण्ड-सारंगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 158 में मतदान अधिकारी क्र. 01 नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः श्री शोभाचंद मालाकार, शिक्षक, बरमकेला के द्वारा कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री शोभाचंद मालाकार, शिक्षक, बरमकेला का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।



कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 373A/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2025  
प्रतिलिपि:-

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सह रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) सारंगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित। आप निलंबित कर्मचारी का आरोप पत्र, आरोप विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़/बरमकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित श्री शोभाचंद मालाकार, शिक्षक, बरमकेला मो.नं. 9893092694 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)**

**जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)**

**// आदेश //**


क्रमांक / 374/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2025

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) सारंगढ़ का पत्र/539 सारंगढ़ दिनांक 19.02.2025 के अनुसार सुश्री सावित्री सिदार, सहायक शिक्षक (एल.बी.) सारंगढ़ को विकासखण्ड- सारंगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 191 में मतदान अधिकारी क्र. 03 नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः सुश्री सावित्री सिदार, सहायक शिक्षक (एल.बी.) सारंगढ़ के द्वारा कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में सुश्री सावित्री सिदार, सहायक शिक्षक (एल.बी.) सारंगढ़ का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।



कलेक्टर


एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

पृ. क्रमांक / 374/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2025  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सह रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) सारंगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित। आप निलंबित कर्मचारी का आरोप पत्र, आरोप विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़/बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित सुश्री सावित्री सिदार, सहायक शिक्षक (एल.बी.) सारंगढ़ मो.नं. 9340372658 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)**  
**जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)**

// आदेश //


क्रमांक / 365 / सहा.अधी. / स्था.निर्वा. / 2025

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बिलाईगढ़ का पत्र क्र. / 123-5 / त्रि.आ.पं.निर्वा. / स्था. / 2025 बिलाईगढ़ दिनांक 19.02.2025 के अनुसार श्री सिदार सिंह सिदार, शिक्षक एल.बी., कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ को विकासखण्ड-बिलाईगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 251 में मतदान अधिकारी क्रमांक 02 नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।


अतः श्री सिदार सिंह सिदार, शिक्षक एल.बी., कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, के द्वारा कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री सिदार सिंह सिदार, शिक्षक एल.बी., कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, का जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

  
कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)  
सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

पृ. क्रमांक / 365 A / सहा.अधी. / स्था.निर्वा. / 2025  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सह रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) बिलाईगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित। आप निलंबित कर्मचारी का आरोप पत्र, आरोप विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
5. संबंधित श्री सिदार सिंह सिदार, शिक्षक एल.बी., कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)



**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)**  
**जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)**

// आदेश //

क्रमांक / 366/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2025

सारंगढ़ दिनांक-23/02/2025

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बिलाईगढ़ का पत्र क. /123-6/त्रि.आ.पं.निर्वा./स्था./2025 बिलाईगढ़ दिनांक 19.02.2025 के अनुसार श्री गुलाब सिंह सिदार, शिक्षक एल.बी. कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ को विकासखण्ड-बिलाईगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 79 में मतदान अधिकारी क्रमांक 02 नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः श्री गुलाब सिंह सिदार, शिक्षक एल.बी. कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, के द्वारा कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री गुलाब सिंह सिदार, शिक्षक एल.बी. कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, का जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 366 A/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2025  
प्रतिलिपि:-

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025.

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सह रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) बिलाईगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित। आप निलंबित कर्मचारी का आरोप पत्र, आरोप विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
5. संबंधित श्री गुलाब सिंह सिदार, शिक्षक एल.बी. कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)**

**जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)**

// आदेश //

क्रमांक/367/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2025

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बिलाईगढ़ का पत्र क्र. /123-7/त्रि.आ.पं.निर्वा./स्था./2025 बिलाईगढ़ दिनांक 19.02.2025 के अनुसार श्री संतोष कुर्रे सहायक शिक्षक एल.बी. कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकार सारंगढ़ को विकासखण्ड-बिलाईगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 207 में मतदान अधिकारी क्रमांक 03 नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः श्री संतोष कुर्रे सहायक शिक्षक एल.बी. कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकार सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, के द्वारा कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री संतोष कुर्रे सहायक शिक्षक एल.बी. कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकार सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, का जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

पृ. क्रमांक/367/सहा.अधी./स्था.निर्वा./2025

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सह रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) बिलाईगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित। आप निलंबित कर्मचारी का आरोप पत्र, आरोप विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
5. संबंधित श्री संतोष कुर्रे सहायक शिक्षक एल.बी. कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकार सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)



**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)**

**जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)**

// आदेश //


क्रमांक / 368 / सहा.अधी. / स्था.निर्वा. / 2025

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बिलाईगढ़ का पत्र क्र. / 123-8 / त्रि.आ.पं.निर्वा. / स्था. / 2025 बिलाईगढ़ दिनांक 19.02.2025 के अनुसार श्री रामशरण सिदार, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिरी (बरमकेला) को विकासखण्ड-बिलाईगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 210 में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः श्री रामशरण सिदार, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिरी (बरमकेला) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, के द्वारा कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।


निलंबन अवधि में श्री रामशरण सिदार, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिरी (बरमकेला) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, का जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

  
कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 368 / सहा.अधी. / स्था.निर्वा. / 2025  
प्रतिलिपि:-

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सह रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) बिलाईगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित। आप निलंबित कर्मचारी का आरोप पत्र, आरोप विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।
4. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिरी विकासखण्ड बरमकेला, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
5. संबंधित श्री रामशरण सिदार, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिरी (बरमकेला), जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)**

**जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)**

// आदेश //

क्रमांक / 369 / सहा.अधी. / स्था.निर्वा. / 2025

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बिलाईगढ़ का पत्र क. /123-9 / त्रि.आ.पं.निर्वा. / स्था. / 2025 बिलाईगढ़ दिनांक 19.02.2025 के अनुसार श्री नरेन्द्र सिंह राज, सहायक शिक्षक (एल.बी.) कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को विकासखण्ड- बिलाईगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 106 में मतदान अधिकारी क्रमांक 03 नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः श्री नरेन्द्र सिंह राज, सहायक शिक्षक (एल.बी.) कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, के द्वारा कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री नरेन्द्र सिंह राज, सहायक शिक्षक (एल.बी.) कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, का जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


  
कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 369 / सहा.अधी. / स्था.निर्वा. / 2025  
प्रतिलिपि:-

सारंगढ़ दिनांक- 23/02/2025

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सह रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) बिलाईगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित। आप निलंबित कर्मचारी का आरोप पत्र, आरोप विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़
5. , जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
6. संबंधित श्री नरेन्द्र सिंह राज, सहायक शिक्षक (एल.बी.) कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं फालनार्थ।

  
कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, (छ.ग.)